राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चिस्वा/2/2018/एम–1460 जयपुर, दिनांक : 31.10.2018

डा. मुकेश कालरा,
चिकित्सा अधिकारी (क्षय रोग),
जिला क्षय निवारण केन्द्र,
रतनगढ, चुरू

**विषयः–** **मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15993/2018 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 की पालना में आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका लम्बी अनुपस्थिति के पश्चात पुनः कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करते हुए विभाग के आदेश दिनांक 18.12.2017 के द्वारा जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, रतनगढ जिला चुरू में पदस्थापन किया गया। उक्त आदेशों की पालना में आपने जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, रतनगढ जिला चुरू में दिनांक 30.01.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया है। किन्तु आपके द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध मा. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 15993/2018 प्रस्तुत की। मा. न्यायालय ने उक्त अपील में दिनांक 27.07.2018 को आदेश पारित कर आपको सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए। मा. न्यायालय के निर्देशों की पालना में आपने विभाग में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

आप न्यूरोलोजिकल बीमारी से पीडित है एवं आपका ईलाज सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में चल रहा है एवं आपको जयपुर से 40 किलोमीटर के दायरे में पदस्थापित किया जावे ताकि किसी भी आपात स्थिति में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। चिकित्सकों द्वारा आपको हल्का कार्य करने के निर्देश दिये है। आपने सहानुभूति पूर्वक विचार करते अपना पदस्थापन जयपुर शहर अथवा जयपुर से 40 किलोमीटर के दायरे में किये जाने का निवेदन किया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार टी. बी. का उन्मूलन किये जाने के निर्देशों की पालना में राज्य के सभी जिला क्षय रोग निवारण केन्द्रों पर क्षय रोग विशेषज्ञों का पदस्थापन किया जाना आवश्यक है। जयपुर शहर में क्षय रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त नहीं होने के कारण आपका पदस्थापन जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, रतनगढ जिला चुरू में किया गया है। आप क्षय रोग विशेषज्ञ है। विभाग में क्षय रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को देखते हुए क्षयरोग विशेषज्ञ चिकित्सक का पदस्थापन क्षय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पद ही किया जाना आवश्यक है। क्षय रोग चिकित्सक के पद जिला मुख्यालय पर ही स्वीकृत है, जयपुर शहर से अन्य सभी जिला मुख्यालयों की दूरी 40 किलोमीटर से अधिक है। वर्तमान में राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण आपका पदस्थापन अन्यत्र किया जाना उचित नहीं है।

अतः आपके अभ्यावेदन में वर्णित परिस्थितियों पर विभाग द्वारा गुणावगुण के आधार पर गहन विचार करते हुए आपके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से

**शासन उप सचिव**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
2– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन बीकानेर
3– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चुरू
4– रक्षित पत्रावली

**शासन सहायक सचिव**